तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18-6-19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित हैं। वादी बहस प्रा० पत्र का अवसर चाहते हैं। अत: पत्रावली 4/7/19 को पेश हो।

04/07/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित है। वादनी एवं उनके अधिवक्ता को रूक–रूक कर 3 बार आवाज दिलायी गयी। यह आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, यह प्रकरण वर्ष 2014 से जैरकार है, जिसमें दिनांक 15.01.2019 को वकुलाय फरीकेन की सहमति से विवादित बिन्दूओं पर तनकीयात कायम कर अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया था, किन्तु पर्याप्त अवसर के बाद भी अधिवक्ता वादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। वहीं अधिवक्ता वादी ने दिनांक 19.03.19 को दावे में संशोधन का प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17, धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपी अधिवक्ता प्रार्थी/वादी को दिलायी जाकर प्रार्थना–पत्र पर बहस हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने बहस न कर अवसर चाहा गया। इस पर उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस हेतु आगामी तारीख पेशी दि0 18.06.2019 नियत की गई। इस तारीख पेशी पर भी अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17, धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस न कर पुनः अवसर चाहा गया जो न्यायालय द्वारा दिया गया तथा आगामी तारीख पेशी इस हेतु 04.07.2019 नियत की गयी। इस प्रकार अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने एवं प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी आदेश 6 नियम 17, धारा 151 सी0पी0सी0 पर बहस करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसके बाद भी अधिवक्ता वादी ने न्यायालय के आदेश की पालना में न तो वादी की ओर से साक्ष्य पेश की और न ही प्रार्थी/वादी के जैरकार प्रार्थना–पत्र पर बहस की। साथ ही वादनी एवं उनके अधिवक्ता आज न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वादी स्वंय ही इस वाद को नहीं चलाना चाहती हैं।

अतः वाद, वादी अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम